बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, सवाई माधोपुर

कलेक्ट्रेट के पीछे पंचायत समिति परिसर, स० माधोपुर Tel. No. - 07462-223012 Email-poweswm2015@gmail.com

क्रमांकः- 2007 दिनांकः- 23/07/2020

विज्ञप्ति

सवाई माधोपुर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सवाई माधोपुर में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

क.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत का नाम जिसके लिये साथिन चयन किया जाना है।
1	चौथ का बरवाड़ा	हिड़ायच
2	गंगापुरसिटी	खेड़ाबाढ़ रामगढ़, हिंगोटिया, नौगॉव, पावटा
3	बामनवास	डूंगरवाड़ा
4	खण्डार	खिदरपुर जादौन, कुरेडी, रामपुरा
5	बौंली	बड़ागॉव सरवर
6	मलारना डूंगर	निमोद
7	सवाई माधोपुर	भदलाव, जड़ावता

1. महिला का जिस ग्राम पंचायत के लिये चयन हो रहा है। वह उस ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिये।
2. साथिन हेतु न्यूनतम 10 वीं उत्तीर्ण एवं विवाहिता होना अनिवार्य है उक्त मानदेय कर्मी साथिन पद पूर्णतः स्वैच्छिक है एवं विभागीय परिपत्र 22430 दिनांक 05.07.2017 की शर्तो व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 21-35 वर्ष होगी। लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों के लिये 21-40 वर्ष व विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्तता के प्रकरण में अधिकतम 21-45 वर्ष तक की होगी।
4. आवेदन फार्म कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता सवाई माधोपुर अथवा विभागीय वेबसाईट http://www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।
5. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में स्वंय के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति सहित इस कार्यालय में व्यक्तिशः/अन्य माध्यम से दिनांक 06.08.2020 को सांयः 06.00 बजे तक जमा करा सकेगी। सांयः 06.00 बजे पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।
6. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
7. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) 12 वीं पास या समकक्ष योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (4) आर.एस.सी.आई.टी. कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र (5) मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड (6) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, ज्योति योजना से लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र (7) कार्यानुभव प्रमाण पत्र (सहायिका/आशासहयोगिनी/साथिन यदि हो तो) (8) बी पी एल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) (यदि लागू हो) इत्यादि दस्तावेजो की स्वंय प्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे।
8. जिन ग्राम पंचायतों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है। उन ग्राम पंचायतो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किये जाने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होगा। इस आशय का प्रमाण-एत्र चयन प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नही होगी।
10. इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सवाई माधोपुर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(राशि लोढ़ा)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
सवाई माधोपुर

क्रमांकः- 2008-31

दिनांकः- 23/07/2020

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान् निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सवाई माधोपुर।
3. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन सवाई माधोपुर संस्करण के स्थानीय पेज राजस्थान/दैनिक भास्कर में डी.पी.आर. दर पर न्यूनतम स्पेस में करवाकर बिल इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करे।
4. श्रीमान् उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सवाई माधोपुर।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति, गंगापुरसिटी/बामनवास/बौंली/मलारना डूंगर/खण्डार/चौथ का बरवाडा/सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 15.08.2020 को आयोजित ग्रामसभा के माध्यम से नियमानुसार साथिन चयन सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव को निर्देशित करने का श्रम करावे। साथ ही सम्बन्धित पंचायत समिति सदस्य को ग्रामसभा में आमन्त्रित करने का श्रम करावें।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सवाई माधोपुर/ गंगापुरसिटी /बामनवास/ बौंली/ खण्डार/ चौथ का बरवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि प्राप्त आवेदन पत्रो एवं वरियता सूची के साथ ग्रामसभा में उपस्थित होकर नियमानुसार साथिन चयन हेतु विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक/प्रचेता महिला अधिकारिता या आपके कार्यालय के अन्य कार्मिक को नियुक्त करना सुनिश्चित करे।
7. सरपंच /सचिव को प्रेषित कर लेख है कि रिक्त पदो की सूचना सूचना पट्ट पर चस्पा करवाकर एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करवाये।
8. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट/जिला परिषद/कार्यालय हाजा/ब्लॉक पंचायत समिति में चस्पा हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
सवाई माधोपुर